IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

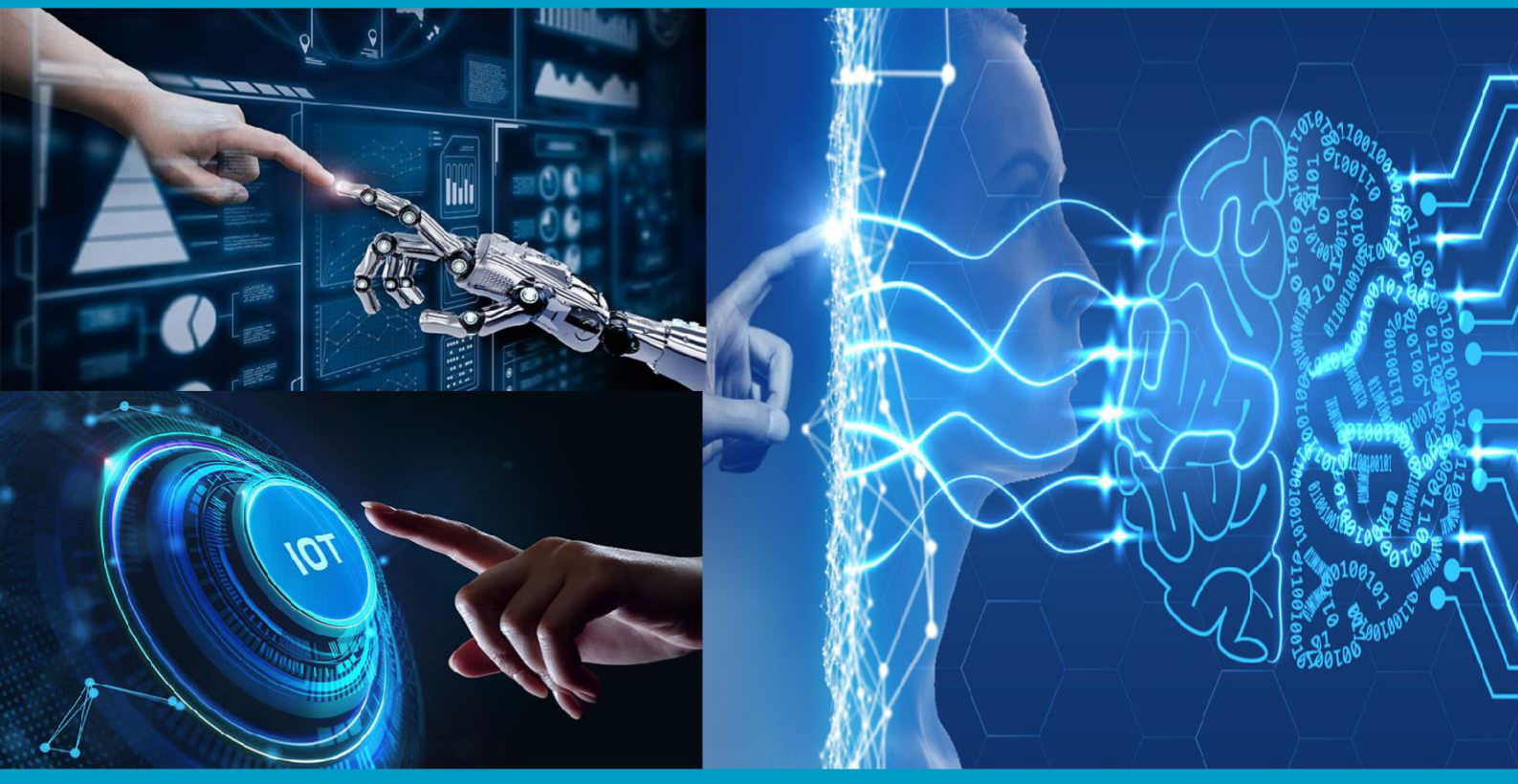

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 11, Issue 3, March 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

+91 99405 72462 +9163819 07438 ijmrsetm@gmail.com www.ijmrsetm.com

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद

Dr. Rajeev Chouhan

Sanvidha Lecturer In Political Science, Govt. PG College, Barmer, Rajasthan, India

सार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा । राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है - अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गरिमामय । भारत के संविधान के अंतर्गत जिस परिसंघीय ढांचे की संरचना की गई है उसमें राज्यपाल, केन्द्र तथा राज्यों के बीच एक सुदृढ पुल के समान है । राज्य और केन्द्र के अन्तरसंबंध बहुत कुछ राज्यपाल के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करते हैं । राज्यपाल का पद मात्र शोभा का पद नहीं है । एक ओर जहां वह केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है वहीं दूसरी ओर वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और इस नाते राज्य के हितों तथा कल्याण के संरक्षण का परम तथा महत् दायित्व उसके कंधो पर है ।

परिचय

राज्यपाल की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार

1- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार :-

"जितना मैं सरकारी खजाने के एक-एक पैसे को बचाना चाहता हूं, राज्य के राज्यपालों को दूर करना और मुख्यमंत्रियों को एक पूर्ण समकक्ष के रूप में मानना ख़राब अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि मैं राज्यपालों को दी जाने वाली हस्तक्षेप की अधिक शक्ति का विरोध करता हूं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें केवल कल्पित व्यक्ति होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, जिससे वे बेहतर के लिए मंत्रिस्तरीय नीति को प्रभावित कर सकें। अपनी अलग स्थिति में, वे चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में देखने में सक्षम होंगे और इस प्रकार उनके मंत्रिमंडलों द्वारा गलतियों को रोकेंगे। उनका अपने राज्यों में एक व्यापक प्रेरक प्रभाव होना चाहिए।"[1,2,3]

"राज्यपाल को टीम की योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम स्थान दिया गया था। जब राज्य में संवैधानिक गतिरोध होगा तो वह मध्यस्थ होंगे और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होंगे।"

2- भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी के विचार :-

"कोऑपरेटीव फेडरेलिश्म के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यपालों द्वारा संविधान के परिरक्षण, सरंक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा और कल्याण में विरत रहने का आपका संवैधानिक दायित्व और भी अहम हो जाता है । आप सब केन्द्र और राज्यों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं । संविधान की धारा 168 के अनुसार, राज्यपाल अपने प्रदेश की विधायिकाकेएक अहम अंग होते हैं । भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का ओहदा बहुत ऊंचा होता है । आप संवैधानिक आदर्शो और मर्यादाओं के प्रतीक हैं । कुछ विशेषाधिकार केवल राज्यपालों को ही उपलब्ध है । राज्य की जनता की निगाहें राजभवन पर टिकी रहती है । राजभवन का सभी पर अनुकरणीय प्रभाव पड़ता है । राजभवनों में मूल्यों और आदर्शो के स्थापित होने से सार्वजनिक जीवन से जुड़े बुद्धिजीवी, स्वयं सेवी संस्थान और समाज के सभी वर्ग के लोग प्रेरणा लेते हैं ।"

"राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है । राज्य सरकार के मार्ग-दर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देते हैं । राज्य की जनता राज्यपालों को आदर्शो और मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में देखती है ।"

"संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है । आज जब हम सहकारी संघवाद और देश की प्रगति के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यानि कॉम्पीटेटीव फेडरेशन पर जोर दे रहे हैं तो राज्यपाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ।"

3- भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विचार :-

"संविधान ने राज्यपाल के लिए एक विशेष भूमिका प्रदान की है। यह पवित्रता के साथ एक स्थिति है। जबकि संविधान द्वारा प्रदान किए गए कई नियंत्रण और संतुलन हैं, राज्यपाल के कार्यालय को दिन-प्रतिदिन की राजनीति से ऊपर उठने और केंद्रीय प्रणाली या प्रणाली से निकलने वाली मजबूरियों को दूर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्यपाल की भूमिका राजनीति के उतार-चढ़ाव से लोगों की सर्वोत्तम आकांक्षाओं को दूर करना है। यह धर्म के प्रकाश को संरक्षित करने जैसा है ।"

4- भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के विचार :-

"राज्यपाल अपने राज्य के पहले नागरिक हैं। जब आपने यह उच्च पद ग्रहण किया था, तब आपने संविधान की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ ली थी। यह पवित्र दस्तावेज लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देता है। यह समावेशिता, सहिष्णुता, आत्म-संयम, और महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को हमारी राजनीति

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

के आवश्यक तत्व के रूप में निर्धारित करता है। लोकतंत्र की हमारी संस्थाओं को इन महत्वपूर्ण विशेषताओं पर काम करना चाहिए। मजबूत विश्वसनीय संस्थान लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन की ओर ले जाते हैं।"[4,5,6]

5- माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय 1979 ; हरगोविंद/ रघुकुल तिलक अनुसार :-

"संविधान राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी की भूमिका प्रदान करता है और एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के धारक होने के नाते संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीनस्थ या अधीनस्थ एजेंट नहीं है।"

6- सरकारिया, कमीशन रिपोर्ट के विचार :-

"कोई भी निर्णय लेने से पहले, राज्यपाल को अपनी शपथ को याद करना चाहिए कि वह संविधान का परिरक्षक और रक्षक है। यदि राज्यपाल ऐसा करता है, तो किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होने की संभावना नहीं है, किसी भी संवैधानिक परंपरा के पराजित होने की संभावना नहीं है और उसकी किसी भी कार्रवाई की निंदा होने की संभावना नहीं है।"

"संविधान राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी और संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका प्रदान करता है। एक स्वतंत्र संवैधानिक पद का धारक होने के कारण राज्यपाल केंद्र सरकार का अधीनस्थ या अधीनस्थ एजेंट नहीं होता है।"

विचार-विमर्श

नियुक्ति :-

भारत के संविधान अनुच्छेद 155 अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं ।

पदावधि :-

भारत के संविधान अनुच्छेद 156 अनुसार –

- राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।
- राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।
- राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है ।

अर्हता :-

भारत के संविधान अनुच्छेद 157 अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।

शर्तें :-

भारत के संविधान अनुच्छेद 158 अनुसार –

(1) राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा,

(2) अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा,

(3) उपलब्धियाँ तथा भत्तों का हकदार होगा ।

शपथ :-

भारत के संविधान अनुच्छेद 159 अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलायी जायेगी । शपथ/प्रतिज्ञान अर्थात् – " मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण् और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं ---------- राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा ।"

राज्यपाल की वैधानिक शक्तियाँ

1. कार्यपालिका शक्तियाँ

• राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। वे सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते है और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों का आवंटन करते है।

• राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते है और उसकी सलाह पर अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं।

• राज्यपाल उच्च नियुक्तियाँ जैसे कि महाधिवक्ता, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति द्वारा उनसे परामर्श किया जाता है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

• राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में आवश्यक जानकारी के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा सूचित रखने का अधिकार है।
• राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में अपनी सिफारिशों के साथ-साथ राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं।
• राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।

2. विधायी शक्तियाँ

• राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं और उसका सत्रावसान करते है।
• चुनाव आयोग की सलाह पर वह विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले का फैसला कर सकते हैं।
• राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं।
• उनके पास वीटो पावर है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उनकी सहमति के अधीन है।[7,8,9]
• जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

3. वित्तीय शक्तियाँ

• राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है।
• राज्य की आकस्मिक निधि उनके निपटान में है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा इनकी अनुमति के लंबित रहने तक एक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम कर सकते हैं।
• राज्यपाल विधायिका के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का कारण बनता है।
• राज्यपाल विधायिका के समक्ष राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखते हैं।

4. न्यायिक शक्तियाँ

• राज्यपाल के पास अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान देने या उनकी सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति है।
• उन्हे अपने कार्यकाल के दौरान सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से व्यक्तिगत छूट प्राप्त है।

5. विवेकाधीन शक्तियाँ

• राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा इस दलील पर पारित करने के बाद सुरक्षित रख सकते हैं कि यह केंद्र सरकार के कानून या नीति के विपरीत होने की संभावना है।
• राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार विधान सभा को भंग कर सकते हैं।
• राज्यपाल किसी कथित घोटाले या आपराधिक गड़बड़ी में शामिल सेवारत या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं।

6. राज्यपाल और उनके कार्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल	प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ।
अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति	राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग भारत संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं	राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो संविधान के अध्याय II में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

में राज्यपाल के क़त्यों का निर्वहन	
अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति	किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराये गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्	जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षितहै कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें उन बातों को छोडकर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।
अनुच्छेद 164 मंत्रियों के अन्य उपबंध	राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता	राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी ।
अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य	प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह : 1 राज्य के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें, 2 राज्य के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे और 3 किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन	प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगा।
अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन	राज्यपाल समय-समय पर सदन को आहूत या सत्रावसान करेगा, और विधानसभा का विघटन करेगा।
अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार	राज्यपाल विधान सभा में अभिभाषण कर सकेगा, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकेगा ।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाष्ण	राज्यपाल द्वारा सदन के लिए विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिये गये प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा ।
अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।
अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति	विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार करने के लिए राज्यपाल अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है या आरक्षित रखता है।
अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक	जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परन्तु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति राज्य के विधनमंडल के सदन या सदनों को लौटा दे..... राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।
अनुच्छेद 151 (2)	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य से संबंधित लेखा रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखने के पूर्व राज्यपाल को प्रस्तुत की जायेगी ।
अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण	राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के समक्ष प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।
अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	किसी अनुदान की माँग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जायेगी, अन्यथा नही।
अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	राज्यपाल, यथास्थिति, सदन के समक्ष व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा।
अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुर: स्थापित या प्रस्तावित किया जायेगा अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक, ----- किसी कर को घटाने या उत्सादन के लिए ----- नहीं होगी।
अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें	भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और नियुक्ति की दशा में ..... राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा ..... जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या ..... व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए.....
अनुच्छेद 233 जिला	किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

न्यायाधीशों की नियुक्ति	
अनुच्छेद 243(झ) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन	राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए सिफारिश करेगा।
अनुच्छेद 243(झ)(4) वित्त आयोग	राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
अनुच्छेद 267(2) आकस्मिकता निधि	राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो ‘‘ राज्य की आकस्मिकता निधि ‘‘ के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियाँ समय समय पर जाम की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त राजयपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी।
अनुच्छेद 299 संविदाएं	संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किए गए सभी संविदाओं को राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा, की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाए, राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किये जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करें।
अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्यपाल द्वारा की जायेगा।
अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना	आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है कि राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलनेपर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।
अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तो के बारे में विनियम बनाने की शक्ति	संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तो का अवधारण कर सकेगा और आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तो के संबंध में उपबंध कर सकेगा।
अनुच्छेद 323 (2) लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन	राज्य आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।
अनुच्छेद 324(6) निर्वाचन आयोग	जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध करायेगा जो निर्वाचन आयोग को सौंपे गये कार्यो के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

के अनुरोध पर कर्मचारी उपलब्ध कराने	
अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 338 (7)	जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, िजसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा ।
अनुच्छेद 341 (1) अनुसूचित जातियाँ	राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा ।
अनुच्छेद 342 (1) अनुसूचित जनजातियाँ	राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा ।
अनुच्छेद 355 एवं 356 राष्ट्रपति शासन	1 केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के बारे में राष्ट्रपति को नियतकालिक प्रतिवेदन भेजकर जानकारी देगा। 2 यदि राज्य के हित में राज्यपाल महसूस करता हो कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए तो ऐसा कहने के लिए वह कर्त्तव्य द्वारा आबद्ध है। 3 राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चले और अथवा राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण	1 राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा; परन्तु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा; परन्तु यह और कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरूद्ध समुचित कार्यवाहियाँ चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है । 2 राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरूद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। 3 राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरूद्ध उसकी पदावधि के दौरान उसकी गिरफतारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी ।

4 अनुसूचित क्षेत्रो/जनजातीय क्षेत्रो के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में प्रावधान हैं। यह निर्धारित किया गया है कि पांचवीं अनुसूची के प्रावधान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे।

पॉचवी अनुसूची

अनुच्छेद 244(1)

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रणके बारे में उपबंध

भाग क

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति-

इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यवालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन –

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

– अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रोंके प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।[10,11,12]

परिणाम

हाल ही में केरल के राज्यपाल ने मंत्रियों को चेतावनी दी कि मंत्रियों के व्यक्तिगत बयान जो राज्यपाल के कार्यालय की गरिमा को कम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रसादपर्यंत का सिद्धांत:

- विषय:
  - प्रसादपर्यंत के सिद्धांत की उत्पत्ति अंग्रेज़ो के कानून से हुई जिसके अनुसार, एक सिविल सेवक क्राउन के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
  - अनुच्छेद 310 के तहत सिविल सेवक यथा- रक्षा सेवाओं, सिविल सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या केंद्र/राज्य के तहत सैन्य पदों या सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत जैसा भी मामला हो, पद धारण करते हैं।
  - अनुच्छेद 311 इस सिद्धांत पर प्रतिबंध लगाता है और सिविल सेवकों को उनके पदों से मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - यदि प्राधिकरण ने उसे पद से हटाने का अधिकार दिया है या उसे हटाने के लिये संतुष्ट है अथवा यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में जाँच करना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं है, तब किसी प्रकार के जाँच की आवश्यकता नहीं होती है।
  - संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
    - इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक संवैधानिक योजना जिसमें उन्हें पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, संदर्भित 'प्रसादपर्यंत' का आशय मुख्यमंत्री के एक मंत्री को बर्खास्त करने के अधिकार के रूप में भी लिया जाता है, न कि राज्यपाल का। संक्षेप में किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल स्वयं किसी मंत्री को नहीं हटा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नज़रिया:
  - शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अन्य शक्तियों एवं कार्यपालिका के संरक्षक हैं, “कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
  - नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016):
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बी आर अम्बेडकर की टिप्पणियों का सहारा लेते हुए कहा "संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निष्पादित कर सकता है। चूँकि राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं है लेकिन उसके कुछ कर्त्तव्य हैं और सदन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।"
    - वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिये। अपनी कार्रवाई के लिये राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिये तथा यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिये।
  - महाबीर प्रसाद बनाम प्रफुल्ल चंद्र 1969:
    - यह मामला अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता की प्रकृति के प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है।
    - अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता अनुच्छेद 164(2) के अधीन है। इस प्रकार राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता की वापसी को मंत्रालय हेतु विधानसभा के समर्थन की वापसी के साथ मेल खाना चाहिये।
    -

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
  - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

- वह राज्य की मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसके लिये पात्रताएँ हैं-
  - वह भारत का नागरिक हो।
  - आयु कम-से-कम 35 वर्ष हो।
  - संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिये।
  - लाभ का पद धारण न करता हो।
- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।
- कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)

- राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल-राज्य संबंध के बीच विवाद के तत्त्व:

- राज्यपाल की परिकल्पना एक गैर-राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये। हालाँकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये:
  - राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना या रोकना,
  - किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिये आवश्यक समय का निर्धारण, या
  - आमतौर पर किसी चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद बहुमत साबित करने के लिये सबसे पहले किस पार्टी को आमंत्रित करना है।

- राज्यपाल और राज्य के बीच मतभेद होने पर सार्वजनिक रूप से इसकी भूमिका के बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही पद पर बना रह सकता है।
  - वर्ष 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिये इसकी निरंतरता आवश्यक है।
  - ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।
- संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का आधार बनाती है।

राज्यपालों द्वारा निभाई गई कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये किये गए प्रयास:

- राज्यपालों के चयन के संबंध में परिवर्तन:
  - वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये।
- सरकारिया आयोग का प्रस्ताव:
  - केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने प्रस्ताव दिया कि राज्यपालों के चयन में भारत के उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच परामर्श किया जाना चाहिये।
- पुंछी समिति का प्रस्ताव:
  - केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल का चयन किया जाना चाहिये।
  - पुंछी समिति ने संविधान से "प्रसादपर्यंत के सिद्धांत" को हटाने की सिफारिश की, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के खिलाफ रहने वाले मंत्रियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर राज्यपाल के अनुमोदन के अधिकार का समर्थन किया।[13,14,15]
  - इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया।

निष्कर्ष

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

- यद्यपि राज्यपाल विधेयक की विषय-वस्तु से भिन्न हो सकते हैं और उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग उन कानूनों को रोकने के लिये नहीं करना चाहिये जो उनके लिये अनुचित हैं।[16,17,18,19]
- यह इस सिद्धांत को लागू करने का समय है कि एम.एम. पुंछी आयोग, जिसने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की, ने सिफारिश की कि राज्यपालों पर कुलपतियों की भूमिका का बोझ नहीं डाला जाना चाहिये।
-
- राज्यपालों का मानना है कि वे संविधान के तहत जो कार्य करते हैं, वे अतिरंजित प्रतीत होते हैं। उनसे संविधान की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है और वे निर्वाचित शासनों को संविधान का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे निर्णय लेने हेतु समय-सीमा की अनुपस्थिति और समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करने के लिये उन्हें दिये गए विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।[20,21]

संदर्भ

1. "भारत का संविधान - अनुच्छेद 239एए" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022. पी. 113. 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 14 जून 2023 को लिया गया ।
2. ^ "भारत का संविधान - अनुच्छेद 239एए (8)" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022। 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 14 जून 2023 को लिया गया ।
3. ^ "भारत का संविधान - अनुच्छेद 163" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022. पी. 72. 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 14 जून 2023 को लिया गया ।
4. ^ "उपराज्यपाल - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह" । अंडमान और निकोबार प्रशासन, सरकार। भारत की । 14 जून 2023. 28 जनवरी 2023 को मूल से संग्रहीत । 14 जून 2023 को लिया गया ।
5. ^ "कौन कौन है? - लद्दाख प्रशासन" । लद्दाख प्रशासन - सरकार। भारत की । 14 जून 2023 । 14 जून 2023 को लिया गया ।
6. ^ "राज भवन - जम्मू-कश्मीर सरकार" । राजभवन - सरकार. जम्मू-कश्मीर, भारत के . 14 जून 2023 । 14 जून 2023 को लिया गया ।
7. ^ "दिल्ली के उपराज्यपाल" । दिल्ली के उपराज्यपाल - सरकार। भारत की । 14 जून 2023 । 14 जून 2023 को लिया गया ।
8. ^ "पुडुचेरी का एलजी सचिवालय" । पुडुचेरी का एलजी सचिवालय - सरकार। भारत की । 14 जून 2023 । 14 जून 2023 को लिया गया ।
9. ^ "भारत का संविधान - अनुच्छेद 57 और 58" (पीडीएफ) । कानून और न्याय मंत्रालय, सरकार। भारत की । विधायी विभाग, सरकार। भारत की। मई 2022. पी. 102. 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 14 जून 2023 को लिया गया ।
10. ^ "अनुच्छेद 155 - भारत का संविधान" (पीडीएफ) । कानून और न्याय मंत्रालय, सरकार। भारत की । विधायी विभाग, सरकार। भारत की। मई 2022. पी. 101. 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 14 जून 2023 को लिया गया ।
11. ^ "खंड 6 - संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956" (पीडीएफ) । ई-गजट - सरकार। भारत की । 1956. 15 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 15 जून 2023 को पुनःप्राप्त .
12. ^ "अनुच्छेद 156 - राज्यपाल के पद का कार्यकाल" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022। 16 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 16 जून 2023 को लिया गया ।
13. ^ "अनुच्छेद 74 - राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022 । 16 जून 2023 को लिया गया ।
14. ^ "भारत का संविधान - अनुच्छेद 159" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022. पी. 71. 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 14 जून 2023 को लिया गया ।
15. ^ बसु, दुर्गा दास (2015)। भारत के संविधान का परिचय (22वां संस्करण)। गुड़गांव, हरियाणा, भारत: लेक्सिसनेक्सिस । पी। 258. आईएसबीएन 978-93-5143-446-7.
16. ^ "अनुच्छेद 154 - भारत का संविधान" (पीडीएफ) । विधायी विभाग - सरकार। भारत की । मई 2022। 6 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 15 जून 2023 को पुनःप्राप्त .
17. ^ "अनुच्छेद 164 - मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022। 16 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 16 जून 2023 को लिया गया ।
18. ^ "अनुच्छेद 356 - राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022. पी. 211. 16 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 16 जून 2023 को लिया गया ।
19. ^ भारत, एनआईओएस (2023)। राजनीति विज्ञान - वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम (पीडीएफ) । दिल्ली, भारत: एनआईओएस । पी। 144.
20. ^ "अनुच्छेद 165 - राज्य के लिए महाधिवक्ता" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022। 16 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 16 जून 2023 को लिया गया ।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 3, March 2024 |

21. ^ "अनुच्छेद 234 - न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती" (पीडीएफ) । विधायी विभाग, सरकार। भारत की । मई 2022. पी. 109. 16 जून 2023 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) । 16 जून 2023 को लिया गया

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com